फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला–श्रीगंगानगर

साहबराम पुत्र लूणाराम जाति जाट निवासी 28 पी.बी.एन. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

बाबत् 251–क आर.टी.ए. के तहत रास्ता स्वीकृत करने हेतु।

प्रकरण संख्याः– 10/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.01.24	आज यह पत्रावली पेश हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि वाके चक 28 पी.बी.एन.–बी. तहसील सूरतगढ में मुताबिक जमाबंदी सम्वंत 2073 से 76 के खाता सं0 177 प0 नं0 40/348 किला नं0 19/3 में 0.1246 है0, 20/1 में 0.075 है0, 21/2 में 0.075 है0, 22/1 में 0.1246 है0 = 0.3992 है0 दर्ज रिकॉर्ड है। यह भूमि एन.एच. 62 पर स्थित है। इस भूमि के पश्चात पूर्व दिशा में शिमला देवी पत्नी साहबराम जाति जाट निवासी 28 पी.बी.एन. तह0 सूरतगढ की भूमि है। प्रार्थी ने अपनी भूमि के किला नं0 20/1 में 8¼ फुट चौड़ा (दक्षिणी तरफ) व किला नं0 21/2 में 8(फुट चौड़ा (उतरी सीमा पर) दोनो किला में 16) फुट चौड़ा X 48.9 फुट का रास्ता शिमला देवी को प्रदान किया हुआ है। शिमला देवी अपनी भूमि के किला नं0 19, 20, 21, 22 में 0. 198 है0 कृषि भूमि से अकृषि रूपांतरण करवाना चाहती है। जिसके लिए रास्ता स्वीकृत होना आवश्यक है। प्रार्थी उपरोक्त प्रयोजन हेतु रास्ता स्वीकृत कराना चाहता है एवं जमाबंदी एवं नजरी नक्शा संलग्न करते हुए उपरोक्त भूमि चक 28 पी.बी.एन.–बी प0नं0 40/348 के किला नं0 20/1 में 8¼ x 48.9 फुट = 0.00374 है0 (दक्षिणी सीमा) व किला नं0 21/2 में 8¼ X 48.9 फुट = 0.00374 है0 रास्ता स्वीकृत करवाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र बाद दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया। चुंकि आवेदक खातेदार स्वयं ने अपनी भूमि में से रास्ता स्वीकृति हेतु निवेदन किया है। अतः अन्य किसी को नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। संलग्न जामाबंदी अनुसार चाहे गए रास्ता की भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि होना साबित है। अतः ऐसी स्थिति में रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित समझते है। अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी साहबराम पुत्र लूणाराम जाति जाट निवासी 28 पीबीएन तहसील सूरतगढ़ की खातेदारी भूमि मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2073–76 चक 28 पी.बी.एन.–बी. के खाता संख्या 177/128 प0 नं0 40/348 के किला नं0 20/1 में 8¼ X 48.9 फुट = 0.00374 है0 (दक्षिणी सीमा) व किला नं0 21/2 में 8¼ X 48.9 फुट = 0.00374 है0 (उतरी सीमा) भूमि में रास्ता स्वीकृत किया जाता है। उक्त स्वीकृत रास्ता प्रार्थी की खातेदारी भूमि में से कम किया जाकर गै0मु0 रास्ता अंकित किया जावे। तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ को राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद हेतु आदेश जारी हो। आदेश सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) सूरतगढ उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	16 05/01/2024

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

क्रमांक/राजस्व/प्रार्थना पत्र/10/2024/16 दिनांक :– 04.01.2024 05

तहसीलदार
सूरतगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

विषय :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 10 /2024 अनवानी साहबराम बनाम सरकार अन्तर्गत धारा रास्ता स्वीकृति बाबत् निर्णय दिनांक 04.01.2024 की पालना करने।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी साहबराम पुत्र लूणाराम जाति जाट निवासी 28 पीबीएन तहसील सूरतगढ़ की खातेदारी भूमि मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2073–76 चक 28 पी.बी.एन.–बी. के खाता संख्या 177/128 प0 नं0 40/348 के किला नं0 20/1 में 8¼ X 48.9 फुट = 0.00374 है0 (दक्षिणी सीमा) व किला नं0 21/2 में 8¼ X 48.9 फुट = 0.00374 है0 (उतरी सीमा) भूमि में रास्ता स्वीकृत किया जाता है। उक्त स्वीकृत रास्ता प्रार्थी की खातेदारी भूमि में से कम किया जाकर गै0मु0 रास्ता अंकित किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व) सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)